पत्र संख्या–11/आ० वि०–15/2026 सा०प्र० 10579 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।

पटना–15, दिनांक 15.06.26

विषयः– **बिहार राज्य हेतु अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–47 पर दर्ज किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु विज्ञापित पद आरक्षित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–5627/2020, वीरा यादव बनाम मुख्य सचिव, बिहार एवं अन्य में दिनांक–17.08.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को आरक्षण प्रदान किए जाने के बिन्दु पर समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–05.06.2026 को संपन्न बैठक में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना सहित अन्य विभागों के चिन्हित पदों में से किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) के गरिमामयी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निर्णय लिया गया है।

अतः मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–05.06.2026 को संपन्न बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

15/06/26

(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-C/Mohit – HINDI LETTER

सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–5627/2020, वीरा यादव बनाम मुख्य सचिव, बिहार एवं अन्य में दिनांक–17.08.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार सरकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को आरक्षण प्रदान किए जाने के बिन्दु पर विचार–विमर्श हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–05.06.2026 को संपन्न बैठक की कार्यवाही :–

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–05.06.2026 को सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–5627/2020, वीरा यादव बनाम मुख्य सचिव, बिहार एवं अन्य में दिनांक–17.08.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित अंतिम न्यायादेश के आलोक में बिहार सरकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को आरक्षण देने के संबंध में गहन समीक्षा की गयी।

1. उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–17.08.2022 को संदर्भित वाद में पारित आदेश की कंडिका–13 निम्नवत् है :–

13. The State is under constitutional as well as statutory obligation to protect the transgender community from the pervasive discrimination that they are facing. As citizens of India, they not only have all rights under the golden triangle of the Indian Constitution, i.e. Articles 14, 19 and 21, as recognized by Hon'ble the Supreme Court in National Legal Services Authority Judgment (supra), but also, such obligation imposed by an enactment of statute as well as International Instruments to which, India as a Nation is a signatory. Provisions which necessitate taking of steps for welfare of this community are reproduced hereinbelow for emphasis.

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–12722 दिनांक–12.09.2014 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विवेचित न्यायादेश एवं पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना की सलाह के आलोक में भली–भांति विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये है :–

(क) किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप में घोषित किया गया है।

(ख) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया है।

(ii) उक्त समावेशन के फलस्वरूप किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला परिषद, न्यायपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रम की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त है। साथ ही राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में भी देय आरक्षण का लाभ प्राप्त है।

3. गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक–386 दिनांक–14.01.2021 द्वारा निर्गत संकल्प एवं मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–28.02.2022 को आहूत बैठक में समीक्षोपरांत की गयी अनुशंसा में प्रतिवेदित किया गया है कि–

(i) सिपाही संवर्ग एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में नियुक्ति हेतु प्रत्येक विज्ञापित होने वाले पदों में प्रत्येक 500 विज्ञापित पद में एक पद Transgender के लिए आरक्षित रहेगा। इस पद के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

(ii) Transgender अभ्यार्थियों के लिए शारीरिक माप–दण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा माप–दण्ड सम्बन्धित संवर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी और अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समरूप छूट प्राप्त होगी।

(iii) बिहार पुलिस संगठन में सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–12722 दिनांक 12.09.2014 द्वारा किन्नर/कोथी/ हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर को पिछड़ा वर्ग अनुसूची (2) में सम्मिलित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(iv) सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक की नियुक्ति हेतु 500 का एक–एक समूह (Slot) बनाया जाय। यदि इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–12722 दिनांक 12.09.2014 के प्रावधानों के तहत **ट्रांसजेन्डर स्वतः नियुक्ति नहीं हो पाते हैं तो 500 वाले स्लॉट में पिछड़ा वर्ग के आखिरी व्यवहृत रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध एक ट्रांसजेन्डर की नियुक्ति कर ली जाय।** ट्रांसजेन्डर की नियुक्ति संबंधी पिछड़ा वर्ग का यह बिन्दु रोस्टर बिन्दु 451 से 500 के बीच अंतिम व्यवहृत पिछड़ा वर्ग का रोस्टर बिन्दु होगा।

(v) 500 वाले स्लॉट में योग्य ट्रांसजेन्डर उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में इसे अगले समव्यवहार हेतु अग्रणित (Carry Forward) नहीं किया जायेगा तथा इसे उसी समव्यवहार में पिछड़ा वर्ग कोटि के सामान्य उम्मीदवार से भरा जा सकेगा।

4. उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–12722 दिनांक–12.09.2014 के आलोक में विभागीय परिपत्र संख्या–13623 दिनांक–10.09.2015 द्वारा बिहार राज्य हेतु अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) शामिल किया गया है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में समीक्षोपरांत जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व के आधार ट्रांसजेन्डर वर्ग के गरिमामयी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित अनुशंसाएँ की गयी :–

1. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा शिक्षक भर्ती हेतु प्रत्येक विज्ञापित होने वाले परीक्षाओं, स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत अद्यतन प्रेषित 8054 राजस्व कर्मचारियों की अधियाचना के संदर्भ में तथा अन्य विभागों के चिन्हित पदों में से प्रत्येक 500–500 का एक–एक समूह (Slot) बनाते हुए विज्ञापित पद में एक–एक पद Transgender के लिए इस प्रकार आरक्षित रहेगा कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के **संकल्प संख्या–12722 दिनांक–12.09.2014 के प्रावधानों के तहत ट्रांसजेन्डर स्वतः चयनित नहीं होते हैं, तो 500 वाले समूह (Slot) में पिछड़ा वर्ग के आखिरी व्यवहृत रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध एक ट्रांसजेन्डर की**

(6)

नियुक्ति कर ली जाय। ट्रांसजेन्डर की नियुक्ति के क्रम में पिछड़ा वर्ग का यह रोस्टर बिन्दु–451 से 500 के बीच पिछड़ा वर्ग का अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु होगा।

2. आरक्षित पदों पर नियुक्ति के क्रम में आरक्षित पदों की संख्या से कम चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति में अर्थात योग्य Transgender अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इसे अगले समव्यवहार हेतु अग्रणित (Carry forward) नहीं किया जाएगा। इसे उसी समव्यवहार में पिछड़ा वर्ग कोटि के सामान्य अभ्यर्थियों से भरने की कार्यवाही की जाएगी।
3. ट्रांसजेन्डर वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या को विज्ञापन में अलग से दर्शायी जायेगी।
4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–15568, दिनांक–21.08.2025 के आलोक में निर्धारित परीक्षा शुल्क के अनुरूप ही परीक्षा शुल्क लागू माने जाएगें।
5. Transgender अभ्यर्थियों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी और अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के समरूप छूट प्राप्त होगी। अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके Transgender होने के निमित निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

5/6/26 **सचिव,** शिक्षा विभाग, बिहार, पटना	5/6/26 **विशेष सचिव,** स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	**विशेष सचिव,** गृह विभाग, बिहार, पटना
5/6/26 **अपर मुख्य सचिव,** समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना	5-6-2026 **अपर मुख्य सचिव,** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	**मुख्य सचिव,** बिहार

PATH-C/Mohit Tippani